सप्तदश माला, खंड 22, अंक 3 **गुरुवार, 2 फरवरी 2023**

13 माघ, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली

संपादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

रवीन्द्र कुमार मैड़
संयुक्त निदेशक

स्वर्णिमा
संपादक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 22, ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1944 (शक)

अंक 3, गुरुवार, 2 फरवरी, 2023 / 13 माघ, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
जाम्बिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	9
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1	10-12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 2 से 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 तक	13

सभा पटल पर रखे गए पत्र 15-22

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 23

कार्य मंत्रणा समिति

39वां प्रतिवेदन 24

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

337वां और 338वां प्रतिवेदन 24

नियम 377 के अधीन मामले 25-42

(एक) सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी अनुसंधान संस्थान एवं डेयरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रविन्दर कुशवाहा 25

(दो) पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पी.एम.श्री विद्यालयों की स्थापना के बारे में

श्री पी. पी. चौधरी 26

(तीन) महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों को जोड़ने वाले 'प्रताप सर्किट' को विकसित किए जाने की आवश्यकता

सुश्री दिया कुमारी 27

(चार) तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री नायब सिंह सैनी 28

(पाँच) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए आय की ऊपरी सीमा के मानदंड में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी 29

(छः) हरदोई जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सड़कों की गुणवत्ता और उनका रखरखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 30

(सात) चतरा-गया और बड़वाडीह-चिरमिरी रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण के बारे में

श्री सुनील कुमार सिंह 31

(आठ) महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियों के बारे में

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे 32

(नौ) कालाहाण्डी जिले में राहुल उतई नदी बांध के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में

श्री बसंत कुमार पांडा 33

(दस) सिद्धार्थ नगर जिले में बौद्ध संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण केंद्र तथा एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 34

(ग्यारह) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा दावों के बारे में

श्री राहुल कस्वां 35

(बारह) मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी में डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना के बारे में

श्री कृष्णपालसिंह यादव 36

(तेरह) गड़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते 37

(चौदह) कन्या हत्या (फेमिसाइड) को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध के रूप में शामिल किए जाने के बारे में।

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन 38

(पंद्रह) विचारधारा की भिन्नता के कारण फिल्म/डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित नहीं किए जाने के बारे में

प्रो. सौगत राय 39

(सोलह) राज्यों को कोयला उगाही राशि जारी किए जाने के बारे में।

श्री भर्तृहरि महताब 40

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अमृत योजना के अंतर्गत सीवर लाइनें बिछाए जाने के बारे में

श्री श्याम सिंह यादव 41

(अट्ठारह) खड़गवासला बाँध के पश्चजल में प्रदूषण के बारे में

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले 42

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

_____

गुरुवार, 2 फरवरी, 2023 / 13 माघ, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** पीठासीन हुए]

जाम्बिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से और इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत के दौरे पर आईं जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री नेली बूटेटे मूटी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।

जाम्बिया का संसदीय शिष्टमंडल बुधवार, 1 फरवरी, 2023 को भारत पहुँचा और शिष्टमंडल के सदस्य अब विशेष दीर्घा में आसीन हैं। वे भारत से वापसी के पहले दिल्ली के अतिरिक्त शनिवार, 4 फरवरी, 2023 को आगरा का भी भ्रमण करेंगे । हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। हम जाम्बिया के शिष्ट्मंडल के माध्यम से जाम्बिया गणराज्य के संसद सदस्यों, वहाँ की सरकार और मित्रवत् जनता को बधाई और शुभकामनायें देते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1 , श्रीमती पूनमबेन माडम।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न काल है और प्रश्न काल महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न काल चलना चाहिए। सभी विधान मंडलों के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की गई थी। सभी माननीय विधान सभा अध्यक्षों ने कहा है कि प्रश्न काल स्थगित नहीं होना चाहिए।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

... (व्यवधान)

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

(प्रश्न संख्या 1)

[हिंदी]

श्रीमती पूनमबेन माडम : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी। ... (व्यवधान) हम सभी जानते हैं कि पानी की सबसे ज्यादा खपत सिंचाई के रूप में होती है। ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। ... (व्यवधान) हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माइक्रो इरीगेशन को बढ़ावा देते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन को चलाना नहीं चाहते हैं। आप सदन की मर्यादा नहीं रखना चाहते हैं। सदन चले, आप अपने बुनियादी सवालों को उठाएं, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कृपया अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिना तथ्यों के कोई बात मत कीजिए। कृपया, अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आग्रह करता हूं कि आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है। जब माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के द्वारा सरकार से जवाब पूछते हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब से समस्याएँ हल होती हैं, समाधान होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब अपने-अपने स्थान पर जाइये।

... (व्यवधान)

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न सं. 2 से 20 तक
अतारांकित प्रश्न सं. 1 से 230)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए]

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.00 1/2 बजे</u>

इस समय, प्रो. सौगत राय, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिंदी]

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8495/17/23]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी 8495-क/17/23]

(3) वर्ष 2023-2024 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8496/17/23]

... (व्यवधान)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1032(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी 8496-क/17/23 देखें]

(2) (एक) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एम.एस.एम.ई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8497/17/23]

(3) (एक) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बद्दी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बद्दी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8498/17/23]

(4) (एक) एम.एस.एम.ई टेक्नोलॉजी सेंटर - पुडी (विशाखापतनम) के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर - पुडी (विशाखापतनम) के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8499/17/23]

(5) (एक) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8500/17/23]

(6) (एक) एम.एस.एम.ई टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8501/17/23]

(7) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8502/17/23]

(8) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8503/17/23]

(9) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8504/17/23]

... (व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): माननीय सभापति जी, मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8505/17/23]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8506/17/23]

(ख) (एक) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8507/17/23]

(ग) (एक) मुम्बई मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुम्बई मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8508/17/23]

(2) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8509/17/23]

(3) (एक) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 20212022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 20212022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8510/17/23]

(4) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8511/17/23]

... (व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): माननीय सभापति जी, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8512/17/23]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

2. चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8513/17/23]

<u>अपराह्न 2.03 बजे</u>

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं दिनांक 08 दिसंबर, 2022 को सभा को सूचित करने के पश्चात सत्रहवीं लोक सभा के दसवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022;

(2) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2022; और

(3) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2022

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित, प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022;

(2) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022;

(3) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 ;

(4) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022; और

(5) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.03½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

39वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.04 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

337वां और 338वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : माननीय सभापति जी, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई संबंधी 337वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 338वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.04½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिंदी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन माननीय सदस्यों के नोटिस स्वीकृत हुए हैं, वे उन्हें कृपया सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

... (व्यवधान)

(एक) सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी अनुसंधान संस्थान एवं डेयरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया-बलिया सहित पूरे पूर्वांचल के लोगों की आय कृषि व पशुपालन पर आधारित है, पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि करने हेतु डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन दोगुना और खाद्य सुरक्षा को आत्मनिर्भर एवं आत्म संपन्न बनाने के साथ-साथ रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न करने हेतु पशुपालन को व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग से जोड़ना अत्यंत लाभप्रद होगा । उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर में खासकर देवरिया, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ सहित बिहार के 2 जिले सिवान और गोपालगंज पूर्णतः कृषि एवं पशुपालन के अनुकूल है, यहां व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग की असीम संभावनाएं हैं परंतु समुचित प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक मार्ग निर्देशन प्राप्त न होने के कारण पशुपालकों एवं किसानों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया-बलिया में डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने तथा व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण केंद्र विकसित कराने की कृपा करें, जिससे यहां के पशुपालकों एवं किसानों की आय में दोगुना वृद्धि हो, प्रदेश में डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

दोगुना हो, तथा खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भर आत्म संपन्न बने, रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न हो।

(दो) पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना के बारे में

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): आज हमारे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की निराशाजनक गुणवत्ता से सभी अवगत हैं। यहाँ तक की देश के अधिकांश निजी स्कूल भी कमोबेश सत्तर के दशक में तैयार शिक्षा के पैटर्न का ही पालन कर रहे है। इस विषय पर मैं शिक्षा क्षेत्र के सुधार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। दूरदर्शी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर ही न रुकते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की है जो अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं, शिक्षण रणनीतियों और तकनीकी प्रगति के माध्यम से बाकी क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगी। 27,360 करोड़ रूपये की लागत से 'पीएम श्री स्कूल' नाम से देशव्यापी केंद्र प्रायोजित स्कूलों का शुभारंभ करके और अगले 5 वर्षों में 14500 से अधिक स्कूलों को कवर करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विलक्षण नेतृत्व का एक और उदाहरण पेश किया है।

मुझे आशा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ-साथ देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, सभी सदस्य इस योजना से संबंधित सभी मामलों में केंद्र सरकार के साथ पीएम श्री स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करेंगे।

मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र पाली की प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक-एक 'पीएम श्री स्कूल' का चयन करने की कृपा करें।

(तीन) महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों को जोड़ने वाले 'प्रताप सर्किट' को विकसित किए जाने की आवश्यकता

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद के अंतर्गत प्रताप सर्किट विकसित करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। वीर योद्धा महाराणा प्रताप मेवाड़ एवं राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए पूजनीय हैं। मेवाड़ में आने वाला हर पर्यटक महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों का दर्शन लाभ लेना चाहता है और उनके जीवन में हुए संघर्षों को समझना चाहता है। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कुम्भलगढ़, हल्दीघाटी और दिवेर दुर्ग आदि बहुत से स्थल आते हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न सर्किटों के माध्यम से पर्यटन एवं दर्शनीय स्थलों को विकसित किया जा रहा है । इसी तर्ज पर महाराणा प्रताप और मेवाड़ के अन्य शूरवीरों से सम्बंधित त्याग, बलिदान, उनकी जन्मस्थली-कर्मस्थली, वहां के गढ़ों, किलों, धरोहरों एवं पवित्र रणभूमि हल्दीघाटी जैसे स्थलों को प्रताप सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि मेवाड़ क्षेत्र के विकास एवं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के मूल्यों के सम्मान हेतु प्रताप सर्किट के रूप में योजना बनाकर महाराणा प्रताप से सम्बंधित विभिन्न स्थलों को विकसित किया जाए।

(चार) तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का ध्यान गीता उपदेश नगरी कुरुक्षेत्र की ओर केन्द्रित करना चाहता हूँ कि प्रसाद योजना जो भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत धार्मिक पर्यटन के लिए प्राथमिकता नियोजित और व्यवस्थित तरीके से तीर्थ स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण करना था। हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले में माता मनसा देवी को समर्पित एक महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर माना जाता है, वहीं नड्डा साहेब गुरुद्वारा शिवालिक तलहटी में घहगर नदी के तट पंचकूला में स्थित गुरुगोविंद से सम्बंधित सिख समुदाय का धार्मिक स्थल है जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ एवं माथा टेकने आते हैं तथा आदि बद्री हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित वन क्षेत्र है तथा यहाँ विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है जहाँ हरियाणा सरकार ने डैम बनाकर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड भी बनाया है । इन सभी स्थलों को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाए एवं इनका सौंदर्यीकरण किया जाए।

(पाँच) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए आय की ऊपरी सीमा के मानदंड में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के शिक्षा के लिए उनको जो प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है उसमे आज भी उनकी पारिवारिक वार्षिक आय की लिमिट 2.5 लाख रूपये है। अभी तक सरकार द्वारा कई पे कमीशन लागू किए गए हैं जिसके बाद एक चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी की आय भी 2.5 लाख से अधिक हो जाती हैं जिससे उन छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता तथा वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः महोदय जिस प्रकार से ओ.बी.सी. छात्रों के लिए उनकी पारिवारिक आय को 8 लाख किया गया है उसी प्रकार मेरा सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए भी यह लिमिट 2.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 8 लाख रूपये किया जाए ताकि कोई भी छात्र प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप से वंचित न रहे व अच्छी शिक्षा प्राप्त कर भविष्य में राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सके।

(छह) हरदोई जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सड़कों की गुणवत्ता और उनका रखरखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उत्तर प्रदेश) के जनपद हरदोई में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से कराये जा रहे सड़क निर्माण पैकेज संख्या यू पी 33175, 33212,33215,33216,33217,33218,33219,33221,33222 एवं 33223 में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कार्य नहीं कराए जा रहे हैं।

अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद हरदोई के अंतर्गत उपयुक्त कार्यों को गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप कराए जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

(सात) चतरा-गया और बड़वाडीह-चिरमिरी रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण के बारे में

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सर्वप्रथम मैं चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि रेल मंत्रालय ने चतरा- गया नई रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही बरवाडीह - चिरमिरी (अंबिकापुर) नई रेल लाइन परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। चतरा - गया नई रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। इस रेल लाइन के साथ-साथ टोरी - चतरा - गया सेक्शन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द चतरा- गया नई रेल लाइन का शिलान्यास किया जाए और इस रेल लाइन के कार्य को अति तीव्रता से करने के पर्याप्त बजट आवंटन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। बरवाडीह - चिरमिरी (अंबिकापुर) रेल लाइन परियोजना झारखंड प्रदेश के चतरा लोकसभा क्षेत्र में आजादी से पूर्व यह रेल लाइन प्रस्तावित थी। इस नई रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान - निर्धारण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्च 2022 में स्वीकृत किया गया था। जोन बिलासपुर में परियोजना के पुनर्जीवित होने से झारखंड एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लोगों में अपार हर्ष है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आजादी से पूर्व की प्रस्तावित बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन को एक तय समय में पूरा करने नियमित निगरानी तंत्र में शामिल कर दिशा में ठोस कदम उठाएं।

(आठ) लातूर जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियों के बारे में।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में कतिपय तकनीकी खराबियों के कारण काफी समय से योजना के अधीन योग्य व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुझे संबंधित अधिकारियों से पता लगा है कि साफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में योग्य दावेदारों के आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरे लातूर जिले में योजना के तहत 152079 आवेदनों में से कम्प्यूटर से बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों अर्थात् 29276 अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए हालांकि योजना के दिशा निर्देशों के तहत इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी आवास के लिए सभी तरह की पात्रता रखते हैं। राज्य स्तर के अधिकारी सॉफ्टवेयर में हुई इस तकनीकी खराबी को ठीक करने में असमर्थ हैं। बड़ी संख्या में योग्य व पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकार होने के कारण यहां आम जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं तथा सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को शीघ्रातिशीघ्र ठीक किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अधीन पात्र सभी उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

(नौ) कालाहाण्डी जिले में राहुल उतई नदी बांध के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में।

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मैं सरकार का ध्यान अपनी लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें दो जिले नुआपड़ा और कालाहांडी है। दोनों ही जिले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। मेरा निवेदन यह है कि जिला कालाहांडी में राहुल-उतई नदी के संगम पर कोई डैम नहीं है । राहुल-उतई नदी के संगम पर मीडियम डैम का डी.पी.आर वन मंजूरी के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। यदि उक्त नदी पर डैम बनाने के लिए वन मंजूरी मिलती है तो इसका लाभ सीधा कालाहांडी जिले के रामपुर मदनपुर और करलामुंडा ब्लॉक के साथ-साथ जिला बोलांगीर के गुडवेला ब्लॉक के किसानों को भी मिलेगा । बोलांगीर भी एक आकांक्षी जिला है। वन मंजूरी होने से किसानों के खेतों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और किसान साधन संपन्न होगा और किसानों की आय बढ़ेगी । इन सभी ब्लॉक के किसान कृषि पर निर्भर करते है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द वन मंजूरी के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि डैम बनाया जा सके और किसानों की फसल को सिचाई की सुविधा मिल सकें।

(दस) सिद्धार्थ नगर जिले में बौद्ध संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण केंद्र तथा एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष बिताए थे। लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा सिद्धार्थनगर जिले को 112 आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया हैं । सिद्धार्थनगर के लोग आकांक्षी जिले के रूप में सिद्धार्थनगर की पहचान करने और जिले में विकास और समृद्धि लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साथ ही दृष्टि और नेतृत्व प्रदान करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु बौद्ध तीर्थयात्रा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और हर साल कई बौद्धों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी कपिलवस्तु आते हैं। इसलिए, बौद्ध तीर्थयात्रियों और अन्य उद्देश्यों की सुविधा के लिए कपिलवस्तु में बौद्ध संस्कृति और विरासत संवहन केंद्र स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है । बोध महोत्सव, बौद्ध सम्मेलन, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स (एबीटीओ) जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को निजी स्थान की तलाश करनी पड़ती हैं। कन्वेंशन सेंटर बनने से यह समस्या दूर हो जाएगी । यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय विक्रेताओं के लिए व्यापार के अवसर भी प्रदान करेगा। बड़ी भागीदारी के लिए बड़े आध्यात्मिक और बौद्ध कार्यक्रम, व्यापारिक सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

(ग्यारह) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा दावों के बारे में

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के अधीन चुरू, नोहर-भादरा, रावतसर (हनुमानगढ़) के अधीन खरीफ फसल वर्ष 2021 का बीमा क्लेम जारी करवाने की ओर दिलाना चाहूंगा। चुरू जिले के किसानों को खरीफ वर्ष 2021 का बीमा क्लेम भुगतान लगभग 200 करोड़ रूपये किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमानुसार क्रोप कटिंग के आधार पर किसान वही भुगतान 500 करोड़ रूपये लेने के हकदार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीति साफ कहती है कि क्रोप कटिंग के डाटा बीमा कम्पनी के अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी व किसान के समक्ष हस्ताक्षरों सहित लिये गये हो तो उस क्रोप कटिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (स्टेट लेवल टेक्निकल कमिटी) में बीमा कम्पनी की शिकायत दर्ज कर ली, जो किसानों के साथ अनुचित व्यवहार है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि चुरू क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (स्टेट लेवल टेक्निकल कमिटी) के फैसले को रिवाइज करते हुए क्रोप कटिंग के आधार पर खरीफ फसल वर्ष 2021 का बीमा क्लेम जारी करवाने का श्रम कराया जाए।

(बारह) मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी में डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना के बारे में

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तीन जिले अशोकनगर, गुना और शिवपुरी आते है जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है और इनमे से गुना को आकांक्षी जिलों की सूची में भी रखा गया है। भारत सरकार द्वारा 2014 से अब तक 400 से अधिक नए पासपोर्ट केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमे गुना और शिवपुरी के लिए भी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को 2019 में स्वीकृति दी गयी थी। 3 वर्ष पश्चात भी गुना और शिवपुरी में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना के सन्दर्भ में कुछ व्यापक कार्य नहीं हुए है और मेरे क्षेत्र के निवासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए ग्वालियर, इंदौर या भोपाल तक यात्रा करनी पड़ती है और पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में विलंब होने के अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की जनता को पासपोर्ट सेवा केंद्र के अभाव में हो रही दिक्कत का निवारण करने हेतु गुना और शिवपुरी के लिए स्वीकृत पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थापना के कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय उपयुक्त कदम उठाये और तत्काल प्रभाव से इनके निर्माण के काम को शुरू किया जाए जिससे उन्हें दूसरे जिलों तक यात्रा करने की आवश्यकता न पड़े।

(तेरह) गड़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): देश की विशेषत: महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े, अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों की विकास संबंधी अनेकों परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने की वजह से अधर में पड़ी रहने की वजह से विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने के परिणामस्वरूप विकास संबंधी निर्माण कार्यों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। इसके अलावा अनेक ऐसी भी विकास संबंधी परियोजानाएं हैं, जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के कड़े नियमों के चलते अधर में लटकी हुई हैं। इस संबंध में, मैं अपने संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली - चिमुर में स्थित आस्टी-आलमपल्ली - सिरोन्चा (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353 सी), जो जीर्णशीर्ण स्थिति में है तथा जिसके निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वन (संरक्षण) अधिनियम में दिए गए कड़े प्रावधानों की वजह से इस 16 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग का सी०सी० निर्माण नहीं हो पा रहा है तथा इसी प्रकार से मेरे संसदीय क्षेत्र में ही स्थित देवरी नगर पंचायत, जो दुर्गम आदिवासी अति पिछड़ा क्षेत्र है, में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन (ई०एस०जेड०) की आड़ में उद्योग- धंधे स्थापित करने में बाधा आ रही है। मेरा माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य की विशेषत: आदिवासी और नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावति संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली - चिमुर की छोटी-बड़ी लंबित विकास संबंधी सभी परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में दिए गए प्रावधानो में विशेष परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान कर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं।

(चौदह) कन्या- हत्या (फेमिसाइड) को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध के रूप में शामिल किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन (चेन्नई दक्षिण): महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सिर्फ उनके मन, शरीर और आत्मा पर आक्रमण नहीं है; बल्कि यह पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपने वर्चस्व की गलत भावना की अभिव्यक्ति है। चाहे वह दिल्ली में एक महिला की उसके साथी द्वारा गला घोंटकर हत्या करने या उसके शरीर को विकृत करने की घटना हो, या झारखंड में एक 19 वर्षीय युवती को उसके पीछा करने वाले व्यक्ति द्वारा आग के हवाले करने की घटना हो; लैंगिक हिंसा की वीभत्स घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं।

इस तरह की हिंसा को 'कन्या- हत्या' कहा जाता है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में आसानी से बचा जा सकता है, तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अंतर्गत भी इसे अलग से दर्ज नहीं किया जाता है। भारतीय दंड संहिता में 'कन्या- हत्या' की कोई व्यापक परिभाषा नहीं है तथा केवल दहेज-संबंधी मौतों और घरेलू हिंसा के संदर्भ में ही इसका संक्षिप्त उल्लेख मिलता है।

बदनामी का डर और ऐसे अपराधों को रिपोर्ट करने में संकोच जैसे कारक, प्रभावी नीतियों को विकसित करने हेतु प्रामाणिक डेटा संग्रहण की आवश्यकता पर बल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला हत्या के मामलों की गणना करने के आह्वान के बाद इस मुद्दे के महत्व को विश्व स्तर पर मान्यता मिली। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि 'कन्या- हत्या' को भारतीय दंड संहिता में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए और इसके संबंध में प्रभावी नीतियां बनाने के लिए विश्वसनीय डेटा संग्रहण की सुविधा प्रदान की जाए।

(पंद्रह) विचारधारा की भिन्नता के कारण फिल्म/डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित नहीं किए जाने के बारे में

प्रो. सौगत राय (दम दम): सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम के अन्तर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी नियमों के तहत 'आपात शक्तियों' का उपयोग करते हुए 2002 के गुजरात दंगों पर बी.बी.सी. की डॉक्यूमेंट्री को रोकने का निर्देश जारी किया। इसको भारत के संप्रभु कानून के नियमों के अंतर्गत ब्लॉक कर दिया गया। जे.एन.यू. और प्रेसीडेंसी जैसे विश्वविद्यालयों में विभिन्न युवा संगठनों और छात्र संघों ने इसे सोशल मीडिया और सार्वजनिक रूप से देखने पर रोक लगाने के कदम के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए भारत भर में बी.बी.सी. डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड की स्क्रीनिंग की। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्री पर या ऐसी किसी भी वैचारिक मतभेद वाली फिल्म/डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध न लगाया जाए, क्योंकि ऐसा करना संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है।

(सोलह) राज्यों को कोयला उगाही राशि जारी किए जाने के बारे में

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनुसूची-II के अंतर्गत 31 रद्द कोयला खदानों के पूर्व आवंटियों द्वारा किए गए कोयला खनन के लिए अतिरिक्त शुल्क की उगाही की है। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश 2014/अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार 295 रुपए प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त उगाही की गई है। मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने राज्य में स्थित तालाबीरा अनुसूची-II कोयला ब्लॉक के लिए 560 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और यह राशि ओडिशा का वैध बकाया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। बकाया राशि अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि यह मामला पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है।

मेरा अनुरोध है कि कोयला मंत्रालय को एक यथोचित परामर्श जारी किया जाए ताकि उगाही किए गए अतिरिक्त शुल्क की राशि शीघ्रातिशीघ्र संबंधित राज्य सरकारों को जारी की जा सके।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अमृत योजना के अंतर्गत सीवर लाइनें बिछाए जाने के बारे में उत्तर प्रदेश

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): जौनपुर में अमृत योजना के अंतर्गत सीवर लाइन बिछाने के लिए ओलंदगंज से लाइन बाजार तक सड़कें खोदी जा रही हैं. यह क्षेत्र शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। यह मार्ग दीवानी, कलेक्ट्रेट, स्कूल, बैंक आदि जगहों पर आने-जाने के लिए है। इस इलाके की सड़क पर जलभराव और कीचड़ होने से लोगों का चलना दूभर हो गया है। सड़क की ऐसी हालत होने से ट्रैफिक जाम भी लगता है और दोपहिया वाहन फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। यह कार्य अक्तूबर 2021 तक पूरा होना था। लक्षित 169 किलोमीटर में से अभी तक सिर्फ 60 किलोमीटर सीवर पाइपलाइन ही बिछाई जा सकी हैं। यह कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। कुछ जगहों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद कीचड़ को साफ नहीं किया गया है। सड़कों की मरम्मत भी नहीं की गई है। कई जगहों पर पाइप लाइन टूटी हुई हैं, जिससे जलभराव हो रहा है। सड़कों की खुदाई से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और इस समय जौनपुर का एक्यूआई दुनिया में सबसे खराब है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 'अमृत योजना' के तहत सीवर लाइन बिछाने के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाए।

(अठारह) खड़गवासला बाँध के पश्चजल में प्रदूषण के बारे में।

श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले (बारामती): खड़गवासला बांध का पश्चजल इसमें छोड़े जाने वाले कई गैलन अनुपचारित सीवेज कचरे से संदूषित और विषाक्त हो गया है। पुणे शहर के लिए पेयजल का एक प्रमुख स्रोत यह पश्चजल है और यह खराब जल आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। न केवल मानव अपशिष्ट, बल्कि छोटे फैब्रिकेटर और पाउडर कोटिंग कार्यशालाओं के अपशिष्ट भी इस जल निकाय में अनुपचारित बहाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतें इसका समाधान ढूंढ रही हैं, लेकिन बढ़ते ठोस अपशिष्ट और क्षेत्र के आसपास की आबादी के प्रबंधन के लिए संसाधनों की कमी के कारण कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। पुणे नगर निगम में भी जल से संदूषकों को प्रभावी ढंग से अलग करने की कुशल तकनीक नहीं है। वर्तमान में जल को उपचारित करने हेतु उपयोग की जाने वाली साधारण क्लोरीन आधारित तकनीक, इस रासायनिक रूप से मिलावटी जल के उपचार के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संदूषित जल से ढारे, सिंहगढ़ रोड, डीएसके कॉलोनियां, उजानी बांध तक के इलाके अत्यंत प्रभावित हैं। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह करती हूँ कि वे इस संबंध में ठोस कदम उठाएं और शहर को इसकी अंतिम आपूर्ति तक जल शुद्धिकरण के विभिन्न चरणों में उन्नत प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी जैसी कुशल तकनीक संस्थापित करें।

[हिंदी]

माननीय सभापति: आप लोग कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग सहयोग कीजिए। यह अत्यंत आवश्यक है।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हम सबको ज्वाइंट सेशन में संबोधित किया है। ... (व्यवधान) उसके लिए जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होती है। इसलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ज्वाइंट सेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का यह पहला भाषण है । ... (व्यवधान) इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग चर्चा कीजिए।... (व्यवधान) पार्लियामेंट चर्चा के लिए है। आप लोग चर्चा कीजिए। जब बजट सेशन शुरू होता है तो हमारी फस्स्ट प्रॉइयोरिटी राष्ट्रपति अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स की रहती है। ... (व्यवधान) इसलिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया चर्चा शुरू कीजिए, गलत परम्परा मत डालिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया चर्चा प्रारंभ होने दीजिए। आप जो भी विषय उठाना चाहते हैं, उसकी अनुमति होगी और चर्चा होगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया सहयोग करें।

... (*व्यवधान*)

[हिंदी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 2.06 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 / 14 माघ,

1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित